

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सम्पत्ति कर विभाग

(म.प्र. न.पा.निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के अन्तर्गत)

क्रमांक 110(A)

विज्ञापन

दिनांक 20-07-2023

सम्पत्तिकर नामान्तरण दाखला

श्री/श्रीमती

श्री 2यास विना सीपन 219 फुट
श्री 2यास विना 2यास फुट

विषय

89 साकार फरिदीर सेक्टर बी गाम बडा बाण्डा इन्दौर
सर्विस/पिन नं. 1004458927 पर नाम परिवर्तन करने बाबद।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका आवेदन आवक क्रमांक 122(A) दिनांक 11-07-2023 का

इस कार्यालय में प्राप्त होने पर से सूचित किया जाता है कि :-

नगर पालिक निगम के कर वसूली लेजर में भूखण्ड/भवन क्रमांक 89

मोहल्ला

साकार फरिदीर सेक्टर बी इन्दौर पर

श्री/श्रीमती

साकार रिपलीरी श्री पंडर श्री सायन श्री देवेंद्र शुभा के स्थान पर

श्री/श्रीमती

2यास विना सीपन 219 फुट श्री 2यास विना 2यास फुट का नाम अंकित किया गया है।


भवन का विभाजन/एकीकरण होने के कारण आपका नवीन भवन क्रमांक होगा।

1. नामान्तरण शुल्क पावती क्र. 1520372891 राशि 600 दिनांक 11-07-2023

2. रजुवात शुल्क पावती क्र. 1520372893 राशि 130 दिनांक 11-07-2023

सम्पत्ति का विवरण:

विज्ञापन साकार फरिदीर
Gul/Res/Seef/Plot = 1706 S.P.S.T.





सहा. राजस्व अधिकारी
कुशाभासुराज्येयन क्र. 16
नगर पालिक निगम, इन्दौर

- नोट:
- 1. यह नामान्तरण केवल कर संग्रहण के उद्देश्य से किया गया है।
 - 2. अस्तित्व जानकारी देकर कराया गया नामान्तरण स्वतः निरस्त माना जावेगा।
 - 3. अपने भवन के बाहर भवन नम्बर का प्रदर्शन अवश्य करें।

प्रतिलिपि:

क्रमांक
उपायुक्त (असे./जर्वे) की ओर जानकारी एवं संश्लेषण के खाते में आवश्यक दुरुस्ती करने के आदेशार्थ प्रस्तुत।


सहायक राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179152022A1183710
पंजीकरण की तिथि	22/02/2022
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	22/02/2022
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	950879.99
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रूपये)	952000
पंजीयन शुल्क (रूपये)	28527
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	90392
उप पंजीयक का नाम	Vikash Jain
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 4

विक्रेता - प्रमाणीकृत पीओए धारक

नाम जितेन्द्र पांचाल
पिता/पति का नाम श्री नाथुलालजी पांचाल
पता 70, नरसिंग बाजार, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत


संगठन का नाम मेसर्स साकार रियल्टी
अधिकृत व्यक्ति का नाम श्री गोपालदास गोयल
पता 16, ए.बी. रोड़, पी.यू.-4, इन्दौर (म.प्र.)

खरीदार- स्वयं


नाम श्याम कदम
पिता/पति का नाम श्री श्रीपत राव कदम
पता 314, बजरंग नगर, इन्दौर (म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

नाम चेतन कदम
पिता/पति का नाम श्री श्याम कदम
पता 314, बजरंग नगर, इन्दौर (म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by VIKASH
KUMAR JAIN
Date: 2022.02.22
15:26:17 IST



F
E
C




10

10



MP-123 MP-123 MP-123 MP-123
 MP-123 MP-123 MP-123 MP-123
 MP-123 MP-123 MP-123 MP-123





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011721022022015006		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	90392		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	47556	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	28560
जनपद ड्यूटी (रुपए)	9520	उपकर राशि (रुपए)	4756
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	21/02/2022 17:09:01		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	SAROJ_KABRA/SP011743005201500124		
एस पी / एस आर ओ /	32/2, MOTI TABELA, INDORE	इन्दौर इंदौर	
डी आर ओ / एच ओ विवरण			

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लिंगवत	हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रसार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत
उद्देश्य	SALE-DEED


पहले पक्ष के विवरण

नाम	श्री गोपालदास गोयल द्वारा(प्रमाणीकृत मुख्याार)जितेन्द्र पांचाल
पता	70, नरसिंग बाजार, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1


दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	चेतन कदम
पता	314, बजरंग नगर, इन्दौर (म.प्र.)
व्यक्तियों की संख्या	2

"Saakar Corridor"



2





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

विक्रय-पत्र

मेसर्स साकार रियल्टी (ABEFS1308Q) तर्फे भागीदार
श्री गोपालदास गोयल पिता श्री प्रेमचंदजी गोयल,
पता: 16, ए.बी. रोड, पी.यू. 4, इन्दौर (म.प्र.)----- विक्रेतापक्ष


(1) श्री श्याम कदम पिता श्री श्रीपत राव कदम (AJVPK3034G)
(2) श्री चेतन कदम पिता श्री श्याम कदम (CCGPK7737J)
दोनों निवासी: 314, बजरग नगर, इन्दौर (म.प्र.) ----- क्रेतापक्ष

विक्रेतापक्ष यह विक्रय पत्र क्रेतापक्ष के हित में (विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष इस संबोधन में दोनों पक्षों के समस्त हितग्राही, वैध-प्रतिनिधि, निष्पादक इत्यादि सम्मिलित हैं) प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर निम्नानुसार शर्तों के अधीन निष्पादित कर देते हैं कि:-

(1) यह कि, विक्रेतापक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम बड़ा बांगड़दा तहसील व जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नंबर 03 में स्थित सर्वे क्रमांक 450/2, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 452, 453/1/1, 453/1/2, 453/2/1, 453/2/2, 454/1, 477, 480, 479/1, 479/3, 485/2, 484, 490/2, 492/2मिन-1, 492/2/मिन-2, 493/1/1, 493/1/2, 493/1/3, 493/2, 494/1/1, 494/2/1, 494/3/2, 494/4/मिन-1, 494/4/मिन-2, 495/1, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 494/9, 495/2, 496, 499/1/1, 499/1/2, 499/1/3/1, 499/1/3/2 एवं 525/2/2 कुल रकबा 26.163 हेक्टेयर भूमि है (जिसे इस लेख में आगे संक्षिप्त में "उक्त भूमि" कहा गया है), जिसे विक्रेतापक्ष ने अलग-अलग पंजीकृत विक्रय पत्रा क्रमांक 1अ/437, 1अ/438, 1अ/439, 1अ/440 दिनांक 26.02.2011, 1अ/453, 1अ/516, 1अ/488 दिनांक 10.03.2011, 1अ/385, 1अ/384, दिनांक 14.03.2011, 1अ/422 दिनांक 22.03.2011, 1अ/390, 1अ/464 दिनांक 31.03.2011, 1अ/391, 1अ/386 दिनांक 30.03.2011, 1अ/430, 1अ/431, 1अ/449, 1अ/623, 1अ/421, 1अ/423, 1अ/602 दिनांक 31.03.2011, 1अ/847 दिनांक 07.06.2011, 1अ/1291 दिनांक 18.01.2013, 1अ/1275 दिनांक 15.01.2013, 1अ/256 दिनांक 30.07.2013 एवं 1अ/1954 दिनांक 07.09.2011 के द्वारा क्रय किया है।

(2) यह कि, उक्त भूमि के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, हातोद जिला इन्दौर ने अपने रजिस्ट्रीकरण क्रमांक/01/2010 दिनांक 25.11.2010 द्वारा विक्रेतापक्ष फर्म को कालोनी विकास हेतु लायसेंस प्रदाय किया है।

(3) यह कि, पूर्व में कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर ने अपने पत्र क्रमांक 3365 दिनांक 20.05.2011 के द्वारा भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृत किया था, जिसका रिवाईज्ड





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

श्री गोपालदास गोयल
द्वारा(प्रमाणीकृत मुख्यार)जितेन्द्र
पांचाल

पुत्र/आत्मज श्री नाथुलालजी पांचाल



Signature



के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 22/02/2022 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात
02:30:28 बजे प्रस्तुत किया गया।

Signature

Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

ले-आउट प्लान दिनांक 24.03.2014 को पुनः स्वीकृत किया गया है, जिसका पत्र क्रमांक 2047 है।

(4) यह कि, उक्त भूमि का व्यववर्तन श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद जिला इन्दौर ने अपने प्रकरण क्रमांक/25/अ-2/2011-12 आदेश दिनांक 01.05.2012 अनुसार आवासीय उपयोग हेतु किया गया है, जिस बाबद् कालोनी विकास की अनुमति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद जिला इन्दौर ने अपने पत्र क्रमांक/03/का.सेल./री.हातोद/2012 दिनांक 01.05.2012 के द्वारा जारी की है।

(5) यह कि, म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त आदेशों, प्रचलित नियमों तथा शर्तों आदि का विक्रेतापक्ष द्वारा पूर्णतया पालन करते हुए "Saakar Corridor" का विकास कार्य किया जा रहा है।

(6) यह कि, ग्राम बड़ा बांगड़ा तहसील व जिला इन्दौर स्थित "Saakar Corridor" के सेक्टर-बी में स्थित भूखण्ड क्रमांक 89, जिसकी साईज 8.00 मीटर बाय 19.82 मीटर होकर उसका कुल क्षेत्रफल 158.48 वर्गमीटर (1706 वर्गफीट) है। उक्त भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उद्देश्य का है तथा वर्तमान में उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं होकर कालोनी में अंदर स्थित है, जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में : रोड़

पश्चिम में : भूखण्ड क्रमांक 96

उत्तर में : बाउण्डीवाल बाद अन्य भूमि

दक्षिण में : भूखण्ड क्रमांक 90

उपरोक्त वर्णित चतुर्सीमा के मध्य स्थित भूखण्ड (जिसका विवरण उपरोक्तानुसार है), विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को रूपये 9,52,000-00 (अक्षरी रूपये नौ लाख बावन हजार मात्र) में विक्रय किया होकर विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण रकम निम्नानुसार प्राप्त कर ली है :-

रूपये 3,00,000-00 (अक्षरी रूपये तीन लाख मात्र) आर.टी.जी.एस. द्वारा दिनांक 26.03.2015 को प्राप्त।

रूपये 2,00,000-00 (अक्षरी रूपये दो लाख मात्र) एच.डी.एफ.सी. बैंक के चेक क्रमांक 000005 दिनांक 16.10.2020 द्वारा प्राप्त।

रूपये 1,38,000-00 (अक्षरी रूपये एक लाख अड़तीस हजार मात्र) एच.डी.एफ.सी. बैंक के चेक क्रमांक 000021 द्वारा प्राप्त।

रूपये 1,38,000-00 (अक्षरी रूपये एक लाख अड़तीस हजार मात्र) एच.डी.एफ.सी. बैंक के चेक क्रमांक 000022 द्वारा प्राप्त।

रूपये 88,000-00 (अक्षरी रूपये इठयासी हजार मात्र) आई.डी.बी.आई. बैंक के चेक क्रमांक 571930 द्वारा प्राप्त।

रूपये 88,000-00 (अक्षरी रूपये इठयासी हजार मात्र) आई.डी.बी.आई. बैंक के चेक क्रमांक 571931 द्वारा प्राप्त।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :



श्री गोपालदास गोयल
द्वारा(प्रमाणीकृत मुख्यार)जितेन्द्र
पांचाल

पुत्र/आत्मज श्री नाथुलालजी पांचाल

पता: 70, नरसिंग बाजार, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित हस्तांतरण-पत्र विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 952000 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी ।
। तारीख 22/02/2022

Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

रूपये 9,52,000-00 योग (अक्षरी रूपये नो लाख बावन हजार मात्र)।

इस प्रकार विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण रकम प्राप्त हो गई होकर अब विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से विक्रय प्रतिफल पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है, जिसकी अभिस्वीकृति विक्रेतापक्ष इस लेख द्वारा करते हैं। विक्रेतापक्ष ने इस लेख के साक्षीगणों के समक्ष उक्त भूखण्ड का रिक्त आधिपत्य दे दिया है।

(7) यह कि, उपरोक्त वर्णित भूखण्ड को इस लेख में सुविधा की दृष्टि से "उक्त भूखण्ड" के नाम से संबोधित किया गया है।

(8) यह कि, क्रेतापक्ष क्रय किये गये उक्त भूखण्ड के विक्रय प्रतिफल में विद्युत संरचना व्यय, क्लब मेंबरशिप फीस, कालोनी कारखरखाव शुल्क का भुगतान सम्मिलित है। भूखण्ड विक्रय की स्थिति में प्रत्येक भूखण्ड स्वामी को विक्रेतापक्ष/अधिकृत समिति से मेन्टेनेंस चार्ज के संबंध में एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगा। यदि भूखण्ड स्वामी द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं की जाती है एवं भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है तो वर्तमान स्वामी को पूर्ण मेन्टेनेंस चार्ज सरचार्ज सहित चुकाना होगा।


यदि क्रेतापक्ष या उससे अन्तरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसी राशि विक्रेतापक्ष को अदा नहीं की जाती है तो विक्रेतापक्ष द्वारा कालोनी के संबंध में दी जाने वाली समस्त सुविधाओं से ऐसे भूखण्ड स्वामी को वंचित किया जा सकेगा तथा विक्रेतापक्ष ऐसी बकाया राशि कानूनी रूप से वसूल करने की अधिकारी रहेगा। क्रेतापक्ष को अपने भूखण्ड के सामने दो छायादार अथवा फलदार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।

(9) यह कि, इस विक्रय-पत्र का समस्त व्यय क्रेतापक्ष के द्वारा वहन किया गया है।

(10) यह कि, विक्रेतापक्ष ने उपरोक्त वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त कर कालोनी बनाना तय किया है। इस कालोनी में आवश्यक सुविधाओं को बनाये रखने के लिये विक्रेतापक्ष/अधिकृत समिति को समय समय पर जो व्यय करना होगा उसके लिये क्रेतापक्ष को व्यवस्था शुल्क की राशि अग्रिम जमा कराना होगी, यह राशि क्रेतापक्ष को विक्रेतापक्ष के पास जमा करना होगी। अग्रिम राशि का निर्धारण विक्रेतापक्ष के द्वारा किया जावेगा, विक्रेतापक्ष द्वारा किये गये व्यय की पूर्ति क्रेतापक्ष द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड की अग्रिम जमा राशि से समायोजित की जावेगी। अग्रिम राशि समायोजित होने पर पुनः क्रेतापक्ष भूखण्ड/भवन धारक द्वारा उक्तानुसार राशि जमा कराना होगी जिसका निर्धारण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किया जावेगा।

(11) यह कि, क्रेतापक्ष उपरोक्त भूखण्ड पर विक्रेतापक्ष द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुसार व ग्राम पंचायत या अन्य किसी भी सरकारी व अर्द्धशासकीय कार्यालयों में प्रचलित नियमानुसार एवं विधान अनुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करेगा, इस बाबद् संपूर्ण जवाबादारी क्रेतापक्ष की रहेगी।

(12) यह कि, यदि विक्रेतापक्ष द्वारा म.प्र. विद्युत मण्डल को विद्युतीकरण के लिये जगह उपलब्ध करवाई जाती है तथा उक्त जगह का विक्रय पत्र म.प्र. विद्युत मण्डल के हित में निष्पादित किया जाता है तो उक्त जगह की जो





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

Akshay More

S/O Sidharam

पता: 466/23,nanda nagar,indore

Umesh Sharma

S/O Kishanlal

पता: 90/2,raoji bazar,indore

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 22/02/2022

Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

भी राशि बाजार मूल्य अनुसार निर्धारित होगी उसका व्यय सभी क्रेताओं को आनुपातिक रूप से वहन करना होगा, इस राशि के अतिरिक्त अन्य कोई कर, सिस्टम-स्टेजिंग चार्जस आदि भी म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा आरोपित किया जाता है तो उक्त राशि को भी सभी क्रेताओं को मिलकर आनुपातिक रूप से विक्रेतापक्ष को चुकाना होगा। उक्त राशि सभी क्रेताओं को आवश्यक रूप से सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर विक्रेतापक्ष के कार्यालय में जमा करवानी होगी, यदि क्रेतापक्ष ऐसी राशि जमा करने में त्रुटि करता है तो विक्रेतापक्ष को कानूनी कार्यवाही कर राशि वसूल करने का अधिकार रहेगा तथा इस संबंध में विक्रेतापक्ष का निर्णय अंतिम होकर क्रेतापक्ष पर बंधनकारक रहेगा।

(13) यह कि, विक्रेतापक्ष द्वारा उपरोक्त कॉलोनी का जो भी व्यवस्थापन खर्च तय होगा वह क्रेतापक्ष द्वारा अपने भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार विक्रेतापक्ष को भुगतान करना होगा।

(14) यह कि, इस भूखण्ड के समस्त प्रकार के शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय टेक्सेस व अन्य भुगतान (डायवर्सन टैक्स, पंचायत उपकर, संपत्ति कर) आदि जो भी देय होंगे उनको क्रेतापक्ष द्वारा चालू वर्ष से भुगतान किया जावेगा, भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्वों का निर्वाह आप क्रेतापक्ष द्वारा किया जावेगा। यदि क्रेतापक्ष ने उनके भुगतान में त्रुटि की एवं कोई भी राशि विक्रेतापक्ष के हित में भुगतान करना आवश्यक हुई अथवा सदस्यों के हित में भुगतान करना उचित मानकर यदि विक्रेतापक्ष ने ऐसा कोई भुगतान अथवा खर्च किया तो क्रेता/भूखण्ड धारक से उसको वसूल कर लेने का अधिकार विक्रेतापक्ष को सदैव रहेगा।


(15) यह कि, क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष के सभी प्रचलित नियम, एवं विक्रेतापक्ष को प्राप्त समस्त प्रकार के आदेशों, अनुमतियों को भलिभाति से समझ लिया है और वे क्रेतापक्ष को मान्य है। भविष्य में भी विक्रेतापक्ष द्वारा बनाए अथवा निरूपित नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करने हेतु क्रेतापक्ष वचनबद्ध रहेगा तथा विक्रेतापक्ष के निर्णय क्रेतापक्ष पर बंधनकारी रहेंगे।

(16) यह कि, उक्त कालोनी इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर की सीमा विस्तार के अंतर्गत मार्च 2014 में समाविष्ट हुई है। अतएव इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा कालोनी पर कोई कर या चार्ज आरोपित किया जाता है तो उसका भुगतान क्रेतापक्ष को आनुपातिक रूप से वहन करना होगा।

(17) यह कि, उक्त भूखण्ड विक्रेतापक्ष के द्वारा क्रेतापक्ष को भूमि स्वामी हक सहित अन्तरित किया है। उक्त भूखण्ड के स्वत्व के संबंध में किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है तो उसका निराकरण विक्रेतापक्ष अपने स्वयं के व्यय से करेंगे।

(18) यह कि, क्रेतापक्ष उक्त बिक्रीत भूखण्ड पर सभी शासकीय, अशासकीय या अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अभिलेख में अपना नाम बतौर स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने के नाते दर्ज करवा सकेगा, इसमें होने वाले समस्त व्यय क्रेतापक्ष को वहन करना होगा। विक्रेतापक्ष के हस्ताक्षर की क्रेतापक्ष को नामांतरण हेतु जंहा-जंहा आवश्यकता होगी विक्रेतापक्ष उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

(19) यह कि, इस विक्रय लेख द्वारा क्रेतापक्ष को बिक्रीत भूखण्ड का स्वामी घोषित किया गया है। क्रेतापक्ष





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



इस दस्तावेज के निष्पादक श्री गोपालदास गोयल By (Authenticated PoA Holder) जितेन्द्र पांचाल के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 22/02/2022 को लिया गया ।




Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4



इस दस्तावेज के निष्पादक श्याम कदम S/O श्री श्रीपत राव कदम के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 22/02/2022 को लिया गया ।



Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

मकान बनाने हेतु आवश्यक ऋण लेने के लिये भूखण्ड को किसी भी वित्तीय संस्थान में गिरवी रख सकता है, यह विक्रय पत्र ही विक्रेतापक्ष की सहमति माना जावेगा।

(20) यह कि, भविष्य में शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग या प्राधिकारी की ओर से कोई नया कर तत्समय या भूतलसी रूप से या कोई नई शर्त लागू की जाती है तो उसे सभी भूखण्ड स्वामियों को आनुपातिक रूप से चुकाना होगा।

(21) यह कि, क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष के सभी प्रचलित नियम, एवं विक्रेतापक्ष को प्राप्त समस्त प्रकार के आदेशों, अनुमतियों को भलिभाति से समझ लिया है और वे क्रेतापक्ष को मान्य हैं। भविष्य में भी विक्रेतापक्ष द्वारा निर्मित अथवा निरूपित नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करने हेतु क्रेतापक्ष वचनबद्ध रहेगा तथा विक्रेतापक्ष के निर्णय क्रेतापक्ष पर बंधनकारी रहेंगे।

(22) यह कि, सी.एन.जी. (घरेलु गैस लाईन), जल व्यवस्था, नर्मदा लाईन, नर्मदा कनेक्शन एवं पानी की पूर्ति की व्यवस्था एवं खर्च के भार का दायित्व क्रेतापक्ष एवं रहवासी संघ का रहेगा।


(23) यह कि, क्रेतापक्ष अपने भूखण्ड पर अथवा उस पर निर्मित भवन में घास-फुस, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, घासलेट या इसी प्रकार की अन्य कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुएँ संग्रह करके नहीं रखेगा कि पास-पड़ोस के रहवासियों को खतरा उत्पन्न हो। क्रेतापक्ष उक्त रहवासी भूखण्डों पर ऐसा कोई कार्य, कारोबार अथवा व्यापार जैसे कि आटा चक्की, होस्टल, किराना दुकान, जनरल स्टोर, कोचिंग क्लासेस, पार्लर व गोडाउन, वेल्डिंग मशीन, इस प्रकार किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ नहीं करेंगे, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण आदि हो व भवन में कम्पन हो साथ ही आसपास के निवासियों को असुविधा हो। क्रेतापक्ष उक्त विक्रय किये गये भूखण्ड पर सार्वजनिक, धार्मिक स्थल, क्लब आदि का निर्माण नहीं कर सकेगा, जिन भूखण्डों का उपयोग आवासीय है, उन पर किसी भी प्रकार की वैध-अवैध, व्यवसायिक, सार्वजनिक, गतिविधी/कार्य नहीं किए जा सकेंगे।

(24) यह कि, विक्रेतापक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त कालोनी के संबंध में समस्त कार्य करने हेतु श्री गोपालदास पिता श्री प्रेमचंदजी गोयल को अधिकृत किया है।

(25) यह कि विक्रेतापक्ष ने एक प्रमाणिकरण मुखत्यारनामा दिनांक 14.02.2017 को दस्तावेज क्रमांक MP179152017A4062190 द्वारा श्री जितेन्द्र पिता श्री नाथुलालजी पांचाल, निवासी: 70, नरसिंग बाजार, इन्दौर के हित में विक्रेतापक्ष द्वारा निष्पादित दस्तावेज को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत कर विक्रेतापक्ष के हस्ताक्षर को प्रमाणित कर अंगुष्ठ चिन्ह लगाने बाबद् दिया है।

(26) यह कि, इस विक्रय पत्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22(क) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार भूखण्ड का यह विक्रय लेख विक्रेतापक्ष फर्म के भागीदार ने स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



इस दस्तावेज के निष्पादक चेतन कदम S/O श्री श्याम कदम के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 22/02/2022 को लिया गया ।

Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4



गवाह मुद्रा :



Akshay More



Umesh Sharma






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

स्थिति में क्रेतापक्ष के हित में निष्पादित किया गया होकर निम्न लिखित साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये सो सही। इति.

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions, information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service Provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and data of the deed); have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (Advocate and Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, and instructions of various officers/Authorities acts regarding above, I.e. Advocate(s) and Service Provider disowned all the legal, factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.

SANJEEV LADDHA ADVOCATE






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	47556
नगरीय शुल्क	28560
जनपद पंचायत शुल्क	9520
उपकर	4756
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	90392

Vikash kumar Jain
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 4






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश


संपत्ति विवरण अनुल्लेख

संपत्ति आईडी	1797202206860246
संपत्ति का प्रकार	भूखंड
संपत्ति का सीमा चिन्ह : --	
संपत्ति का पता : ग्राम बड़ा बांगड़दा तहसील व जिला इन्दौर स्थित "Saakar Corridor" के सेक्टर-बी में स्थित भूखण्ड क्रमांक 89	
विकास खण्ड (विकास खंड) : --	
राजस्व निरीक्षक वृत्त : --	
लेआउट का विवरण : --	
नजूल / शीट क्रमांक : --	
भूखण्ड क्रमांक : --	

जिला	इंदौर
तहसील	इन्दौर
क्षेत्र प्रकार	नगरीय क्षेत्र
अधिशाली नगरीय निकाय : नगर निगम इंदौर	
वार्ड : वार्ड न0 15 (बीजासन)	
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी : साकार कॉरिडोर सिटी (बड़ा बांगड़दा)	
भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	158.48
कुल क्षेत्रफल मे से आवासीय क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	158.48
कुल क्षेत्रफल मे से व्यावसायिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल मे से औद्योगिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल मे से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित शैक्षिक इकाईयों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या ले आउट टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया	--
कुल क्षेत्रफल मे से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सेवायों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या ले आउट टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया है?	--
कुल क्षेत्रफल मे से अन्य उपयोग का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--



11/15/2022





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग


मध्य प्रदेश

क्या भूखण्ड केवल आवासीय सह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है

नही

कुल मुद्रांक एवं छूट			
छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	90392.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	28527.0
प्रतिफल राशि (रु)	952000		

2
6
4
e





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पक्षों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 26265290 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011721022022015006 सहित, एलए द्वारा अधिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मैं/अपने निश्चित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर,
नाम तथा पिता का नाम:

For Saakar Realty

दिनेश

Partner

(गोपबन्धन पिता प्रेवेंडोपोपल)

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर,
नाम तथा पिता का नाम:

श्रीमती - (1)

(Kasam)

श्याम कदम पिता श्रीपत शिव कदम

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर,
नाम तथा पिता का नाम:


(2)


श्रीमती कदम पिता श्री श्याम कदम

गवाह 1 का नाम उमेश शर्मा पिता शिवानन्द शर्मा गवाह 2 का नाम आशु मोहन पिता शिव कदम
पता 30/2 बाबली बाजार (श्रीमती कदम) पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर 524 आईडी का टाईप तथा नम्बर 1466/23 श्रीमती कदम

(D.L = MP08R-2018-0229060)



(D.L = MP08N-2007-03261R)








रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश




For Saakar Realty

Partner



1
2
3
4
5





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT
STAMPS DEPARTMENT

SAKAR CORRIDOR
GRAM BADABANGARDA
INDORE

PLOT-89(SEC-B)

SIZE - 8.00 X 19.82 = 158.48 SQ.MT. =1706 SQ.FT

ROAD (EAST)

OTHER LAND
AFTER B.WALL (NORTH)


PLOT NO - 89

PLOT NO.90 (SOUTH)

PLOT NO. 96 (WEST)

For Saakar Realty

[Signature]
Partner





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश


पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 22/02/2022 को क्रमांक
MP179152022A1183710 दे कर किया गया है। जिसमें 28 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 90392

पंजीयन शुल्क 28527
प्रतिलिपि शुल्क 0
अधिक 0
योग 28527


Vikash kumar Jain
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 4



मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 26266290 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011721022022015006 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

For Saakar Realty


Partner

विक्रेता -


(गोपालदास पिता प्रेज्येन्द गोपाल)



द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

श्रीता - (1)

(Karam)
श्याम कदम पिता श्रीपत शिव कदम


अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

(2) 
चेतन कदम पिता श्री श्याम कदम

गवाह 1 का नाम उमेश शर्मा 110 किसान लाल गवाह 2 का नाम अक्षय मोहन 110 सिद्ध चक्र प
पता 90/2 शिवली बाजार धनी इन्डिया पता
हस्ताक्षर  हस्ताक्षर 1466/23 वांगमण्डल
आईडी का टाईप तथा नम्बर  आईडी का टाईप तथा नम्बर

(D.L. = MP09R-2018-0229060)

(D.L. = MP09N-2007-032617)




प्रमाण-पत्र

गोपालदास पिता श्री प्रेमचंदजी गोयल,
पता: 16, ए.बी. रोड़, पी.यू.-4, इन्दौर (म.प्र.)

मैं सत्य निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता हूं कि:-

1. इस दस्तावेज में मेरे द्वारा संपत्ति का जो विवरण अभिलिखित किया गया है, वह पूर्णतः सत्य तथा सही है।
2. एतद् द्वारा संलग्न किए गए संपत्ति के स्वप्रमाणित फोटोग्राफ तथा नक्शे संपत्ति की सत्य तथा सही प्रस्थिति दर्शाते हैं।
3. यदि इस दस्तावेज में दिए गए संपत्ति के उपवर्णन में कोई भी विसंगति पायी जाती है तो उसके लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा।


शपथगृहिता

प्रमाण-पत्र


गोपालदास पिता श्री प्रेमचंदजी गोयल,
पता: 16, ए.बी. रोड़, पी.यू.-4, इन्दौर (म.प्र.)

मैं सत्य निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता हूं कि:-

1. इस दस्तावेज में दिए गए संपत्ति के ब्यौरे पूर्णतः सत्य तथा सही हैं। उक्त संपत्ति किसी भी रूप में मेरे अथवा प्रतिनिधि, समनुदेशिनी या अभिकर्ता द्वारा पूर्व में किसी अन्य दस्तावेज की मार्फत किसी अन्य व्यक्ति को न तो हस्तांतरित की गई है और न ही स्थायी रूप से अन्यसंक्रांत की गई है।
2. इस दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करवाने में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22-क के उपबंधों का मेरे द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
3. यदि इस दस्तावेज में दिए गए संपत्ति के उपवर्णन में कोई भी विसंगति पायी जाती है तो उसके लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक: 19/2/22

शपथगृहिता



अन्तरणकर्ता

001
19/02/22

SAKAR CORRIDOR
GRAM BADABANGARDA
INDORE

PLOT- 89(SEC-B)

SIZE – 8.00 X 19.82 = 158.48 SQ.MT. =1706 SQ.FT

ROAD (EAST)

OTHER LAND
AFTER B.WALL (NORTH)

PLOT NO - 89


PLOT NO.90 (SOUTH)

PLOT NO. 96 (WEST)

For Saakar Realty


Partner

03
19/02/20



For Saakar Realty


Partner

003
19/02/22

122 1

122 1

